**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**अनिल कुमार**

**बनाम**

**भारत संघ एवं अन्य**

2008 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार सं. 2963

में

2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1107

17 अप्रैल 2025

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी.पीडी. सिंह)**

**विचार के लिए मुद्दा**

- क्या अपीलकर्ता को विभागीय जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने तथा रक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं दिया गया?
- क्या सेवा से निष्कासन की सजा अनुपातिक और विधिसम्मत थी?

**हेडनोट्स**

अपीलकर्ता को अभियोजन पक्ष के छह गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। (अनुच्छेद 4)

अपीलकर्ता को जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि सेवा से हटाए जाने जैसी गंभीर सजा दी गई है। ऐसे परिस्थितियों में, अधिकारियों को यह जांच करनी

चाहिए थी कि अपीलकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया या नहीं। (अनुच्छेद 6)

आरोप इस प्रकार सिद्ध नहीं हुए कि साक्ष्य प्रस्तुत करने और जिरह करने जैसी विभागीय जांच की अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो। (अनुच्छेद 9)

माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। (अनुच्छेद 11)

## न्याय दृष्टान्त

कर्नाटक राज्य बनाम उमेश, (2022) 6 एसीसी 563

## अधिनियमों की सूची

विभागीय जांच (साक्षियों की उपस्थिति एवं दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के प्रवर्तन) अधिनियम, 1972; दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908

## मुख्य शब्दों की सूची

विभागीय जांच; प्राकृतिक न्याय; जिरह; रक्षा गवाह; प्रक्रिया संबंधी त्रुटि; अनिवार्य सेवानिवृत्ति; न्यायिक समीक्षा; सजा की अनुपातिकता; केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल; रसोइया

## प्रकरण से उत्पन्न

02.07.2018 को पारित आदेश, 2008 का सीडब्लूजेसी संख्या 2963 से

**पक्षकारों की ओर से उपस्थिति**

अपीलकर्ता की ओर सेः श्री शशि शेखर तिवारी, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर सेः श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता; श्री राम तुजाभ सिंह, केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता; श्री लोकेश, अधिवक्ता; रविंदर कुमार शर्मा, अधिवक्ता; और श्री अभिषेक कुमार वर्मा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोटस बनाया गयाः अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2008 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं..2963**

**में**

**2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.1107**

==========

अनिल कुमार, नं. 904490116, पिता-श्री विजय कुमार, निवासी, गांव और पोस्ट-टेरा, थाना-कारपी, जिला-जहानाबाद।

... ...अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से
2. महानिरीक्षक, ई.एस., केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र, पटना।
3. उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ, पूर्वी क्षेत्र, मुख्यालय, पटना।
4. कमांडेंट सीआईएसएफ, सीआईएसएफ यूनिट, पीपीटी पारादीप, जिला - जगतसिंहपुर, ओडिशा।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

**उपस्थिति :**

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री शशि शेखर तिवारी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री अवधेश कुमार पांडे, वरिष्ठ सी. जी.सी.

श्री राम तुजाब सिंह, सी. जी. सी.

श्री लोकेश, अधिवक्ता

श्री रविंदर कुमार शर्मा, अधिवक्ता

श्री अभिषेक कुमार वर्मा, अधिवक्ता

==========

**कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री**

**और**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. डी. सिंह क**

**मौखिक निर्णय**

**(द्वारा: न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)**

**तारीखः 17-04-2025**

अपीलार्थी ने 2008 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 2963 में पारित दिनांक 02.07.2018 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का विरोध किया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी-सीआईएसएफ यूनिट, एनटीपीसी, बाढ़, बिहार में 30.03.1990 को रसोइया के रूप में नियुक्त किया गया था। विभागीय जांच के लंबित रहने के दौरान, उसे सीआईएसएफ यूनिट पीपीटी, पारादीप, उड़ीसा में स्थानांतरित कर दिया गया है। अपने उच्च अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें धमकाने जैसे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। विभागीय जांच में 23.07.2005 को अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की जांच की गई है। अपीलकर्ता को 24.07.2005

को उन अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने के लिए कहा गया था। अपीलकर्ता ने दो दिन का समय मांगा और रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा, 24.09.2005 को याचिकाकर्ता ने व्यक्त किया कि वह बचाव पक्ष के गवाहों के माध्यम से सबूत पेश करना चाहता हालांकि, उन्होंने जांच कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया। इस पृष्ठभूमि में, जांच अधिकारी द्वारा बनाए गए ऑर्डरशीट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने कुछ दिनों के भीतर ही विभागीय जांच को समाप्त करने के लिए जल्दबाजी की।

3. इस संबंध में, यह आवश्यक है कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 23.07.2005, 24.07.2005 और 24.09.2005 को तैयार आदेश पत्रों को उद्धृत किया जाए।

> **23-07-2005** आरोपी बल सदस्य आ. (नि.) अनिल कुमार आज दिनांक 23.07.2005 को जांच अधिकारी के समक्ष आया एवं बताया कि वह जांच की आगे की प्रक्रिया में भाग लेना चाहता हैं। अतः आ. अनिल कुमार को इजाजत दी गई। प्रारंभिक सुनवाई में आ. अनिल कुमार ने आरोप पत्र का जवाब दिया है या नहीं के प्रश्न के उत्तर में एक लिखित जवाब (बचाव पक्ष का प्रारंभिक लिखित कथन) दिनांक 23-07-2005 के औ सु ब ई पी पी टी पारादीप के नाम प्रेषित किया है। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान नि. एम बिस्वाल (पी.ओ.) उपस्थित रहे और सूचीबद्ध दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जो रिकॉर्ड में लाया गया। आ. राजेश कुमार (अभियोजन पक्ष गवाह) का परीक्षण किया गया एवं उनका प्रति परीक्षण आरोपी बल सदस्य द्वारा किया गया। आरोपी बल

सदस्य को यह सूचित किया गया कि दिनांक 20.07.05 से 22.07.2005 तक उनकी अनुपस्थिति में एक तरफा जांच कार्यवाही किया गया है जिसमें निम्न अभियोजन गवाहों का परीक्षण किया गया है। बयान रिकार्ड किया गया है:

1. नि. व्ही एम झा

2. उप नि. आलोक लगुन

3. प्र आ. आर एन सिंह.

4. आ. हरेन्द्र सिंह

5. आ. जयराम

6. आ. एम के सिंह

आरोपी बल सदस्य को यह सुचित किया गया कि दिनांक 24.07.2005 को समय 0900 बजे आगे की जांच हेतु के औ सु.ब.ई. पी पी टी पारादीप के अग्निशमन केन्द्र पर निश्चित की गई है। आ. अनिल कुमार को यह भी सूचित किया गया कि दिनांक 24.07.05 को उस समय उपरोक्त अभियोजन साक्षी (गवाह) के ब्यान पुनः पढ़कर सुनाया जायेगा एवं आ. अनिल कुमार उन गवाहो को प्रतिपरीक्षण कर सकते है। अतः आ. अनिल कुमार को यह निर्देश दिया गया कि उन्होंने दिनांक 24.07.05 को प्रातः समय 09:00 बजे उपरोक्त निर्धारित स्थान पर जांच हेतु उपस्थित रहें अन्यथा आगे की जांच प्रक्रिया एक तरफा की जा सकती है।

ह0/- ह0/-

ह0/-

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (आ. अनिल कुमार) (नि. अ. सुधीर कुमार)

(आरोपी बल सदस्य) (जांच अधिकारी)

**24.07.2005** आज दिनांक 24.07.2005 को आरोपी आ. (नि0) अनिल कुमार दिनांक 23.07.2005 के निर्देशानुसार जांच हेतु प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की उपस्थिती में उपस्थित हुआ और नि. व्ही एम झा के बयान को पढ़कर सुनाया गया एवं आरोपी को नि. व्ही एम झा से बयान के संदर्भ में प्रतिपरीक्षण का मौका दिया गया। आ. अनिल कुमार को यह कहा गया कि उनको नि. व्ही एम झा का बयान पढ़कर सुनाया गया है अतः उसको जांच की कार्यवाही के रिकार्ड हेतु, नि. व्ही एम झा के बयान के उपर पढ़कर हस्ताक्षर करे, कि उन्होंने बयान पढ लिया है और उनको बयान को पढ़कर सुनवाया भी गया है लेकिन आरोपी आ. अनिल कुमार ने बयान के उपर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। आ. अनिल कुमार को नि. व्ही एम झा से तुरंत प्रतिपरीक्षण करने के लिए मौका दिया गया लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिपरीक्षण करने से मना कर दिया एवं कहा कि दो दिन के पश्चात (एवं ब्यान की प्रति प्राप्ति के बाद) वह प्रतिपरीक्षण करेंगे। आ. अनिल कुमार को यह बताया गया कि आज दिनांक 24.07.05 को तुरंत उनको जांच की कार्यवाही में शामिल हुए (दिनांक 20.07.05 से 22.07.05 तक) सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों का बयान (जो कि एकतरफा जांच कार्यवाही में रिकॉर्ड किया गया है, आरोपी बल सदस्य के उपस्थित न होने के कारण) दिया जा रहा है। अतः आरक्षक अनिल कुमार को यह कहा गया कि उनको प्रतिपरीक्षण हेतु दो दिन का समय

नहीं दिया जा सकता इसलिए उनको तुरंत बिना देरी के प्रतिपरीक्षण करने को कहा गया लेकिन आरक्षक अनिल कुमार ने अविलम्ब प्रतिपरीक्षण करने में असमर्थता जताते हुए प्रतिपरीक्षण से मना कर दिया।

ह0/- ह0/- ह0/- ह0/-

(अस्पष्ट) (अस्पष्ट) (अस्पष्ट) (जांच अधिकारी)

**24.07.05** आरोपी बल सदस्य आ. अनिल कुमार को दिनांक 20.07.05 से 22.07.2005 तक के बयान जो निम्न बल सदस्यों के थे एवं एकतरफा रिकॉर्ड किया गया था, (आरोपी की अनुपस्थिति के कारण) पढ़कर सुनाये गये एवं जब आ. अनिल कुमार कुमार को प्रतिपरीक्षण के लिए कहा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी अनुपस्थिति में जिस अभियोजन का पक्ष का गवाहों के बयान रिकॉर्ड किया गया हैं वह उनको प्रतिपरीक्षण नहीं चाहते है क्योंकि उनको बयान की प्रति देने के बाद 02 दिन का समय नहीं दिया जा रहा है। पढ़कर सुनाये गये और दिखाये गये बयान के उपर आ.(आरोपी) अनिल कुमार ने हस्ताक्षर करने से मना किया।

ह0/- ह0/- ह0/- ह0/- ह0/- ह0/-
ह0/- ह0/-

**24-07-2005** आ. (आरोपी) अनिल कुमार द्वारा दो दिन का समय, उनको अनुपस्थिति में जिस अभियोजन पक्ष गवाहों का बयान रिकार्ड किया गया या, उनके प्रतिपरीक्षण के लिए मांगा गया था, लेकिन

उनको दो दिन का समय नहीं दिया गया एवं उपरोक्त गवाहों का बयान पढ़कर सुनाने एवं पढ़वाने के पश्चात प्रतिपरीक्षण तुरंत करने के लिए कहा गया, लेकिन आ. अनिल कुमार ने उन सभी गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने से मना किया। बस 763280220 उप नि. आर सी पी यादव जांच के लिए उपस्थित हुए। उनकी जांच कार्यवाही के लिए आ. अनिल कुमार ने शामिल होने की सहमति प्रकट करने के पश्चात, उक्त उप. नि. आर सी पी यादव को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया।

| | | |
|---|---|---|
| ह0/- | ह0/- | ह0/- |
| प्रस्तुतकर्ता अधिकारी | (आ. अनिल कुमार) | (जांच अधिकारी) |

**24-09-2005** आज दिनांक 24.09.2005 को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी तथा अरोपी बल सदस्य आ. अनिल कुमार ब्यान के लिए उपस्थित हुये। कोई भी बचाव पक्ष का गवाह जांच के लिए उपस्थित नहीं हुआ। सहायक कमांडेंट कै औ सुब इकाई एन टी पी सी बार उनके पत्र संख्या (वी-15014/सी.आई.एस.एफ./डी.आई.एस.सी./एन.टी.पी.सी./(बी)/2005/924) दि. 17/09/05 के तहत यह सूचना दिये कि नम्बर 932296474 आ. प्रमोद कुमार एवं नं0 932291527 आ0 बी. एन. सिंह आरोपी आरक्षक अनिल कुमार का बचाव पक्ष का गवाह नहीं बनना चाहते हैं। इसकी सूचना आज दि. 24.09.05 को जांच कार्यवाही के दौरान आरोपी आरक्षक अनिल कुमार को दिया गया। आ0 अमरेश कुमार, जो कि कै ओ सु.ब. इकाई आईओसी बरौनी में तैनात हैं, उनको

जांच के दौरान बचाव पक्ष का गवाह के रुप में उपस्थित होने के लिए संबंधित को सूचना दिया गया था। लेकिन कै औ सु ब इकाई एन टी पी बार से संपर्क करने पर यह पता चला कि आ0 अमरेश कुमार कै औ सु ब इकाई बरौनी से कै औ सु बल इकाई बी सी सी एल, धनबाद को स्थानांतरण पर जा चुके हैं। अतः कै ओ सु ब इकाई बी सी सी एल, धनबाद को अनुरोध किया जायेगा कि दि0 28.09.05 को आ. अमरेश कुमार को जांच के दौरान उपस्थित होने के लिए भेजे।

श्री संजय सिंह, श्री जय सिंह, श्री सुमन सिंह एवम् श्री अरुण कुमार गुप्ता जो कि सिविलियन हैं उनको बचाव पक्ष के गवाह के रूप में आ. अनिल कुमार प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन जांच के संबंध में उन लोगों का कोई ताल्लुकात नहीं लगता है। अतः उपरोक्त सिविलियन लोगों को जांच के लिए नहीं बुलाया जायेगा। इसकी सूचना आरोपी आ0 अनिल कुमार को दिया गया। जांच की अगली तिथि दि0 28.09.05 को समय 10:00 बजे कमांडेंट के औ सु ब इकाई, पी पी टी पारादीप के कार्यालय में (भंडारपाल कक्ष) में निर्धारित किया गया, जिसकी सूचना आ0 अनिल कुमार को दिया गया है।

ह0/- (आ0 अनिल कुमार) ह0/-

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी आरोपी आरक्षक जांच अधिकारी

आरोपी आ0 अनिल कुमार ने इस आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया।

ह0/- ह0/-

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जांच अधिकारी

4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आरोप की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज कर दिया है। जहाँ तक विभागीय जाँच में भाग लेने के लिए उड़ीसा से बिहार की यात्रा का संबंध है, एकल न्यायाधीश ने अभिलिखित किया है कि अपीलार्थी किस स्थान पर विभागीय कार्यवाही करने के लिए प्रबंधन या नियोक्ता को शर्तें निर्देशित नहीं कर सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहे हैं कि अपीलार्थी को अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। दूसरी ओर, 23.07.2005 पर छह गवाहों से पूछताछ की गई है और उन्हें 24.07.2005 पर जिरह करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि वह एक रसोइया था और उसे उसी दिन अपने उच्च अधिकारियों-गवाहों से जिरह करने की आवश्यकता थी, संभव नहीं हो सकता है। वास्तव में जाँच अधिकारी को अपीलार्थी को सी. आई. एस. एफ. विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी की सहायता लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए था ताकि अपीलार्थी की योग्यता और स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभागीय जाँच में सहायता की जा सके कि वह केवल एक रसोइया है और अपने वरिष्ठों से जिरह कर सके।

5. बचाव पक्ष के गवाहों के नाम जाँच अधिकारी को प्रदान किए गए थे, तथापि, जाँच अधिकारी का यह बाध्य कर्तव्य था कि वह विभागीय जाँच (गवाहों की उपस्थिति का प्रवर्तन और दस्तावेजों का उत्पादन) अधिनियम, 1972 जैसे उन गवाहों को बुलाने के लिए कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करते हुए अपीलार्थी के मामले का बचाव करने के लिए बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाए। धारा 4 के तहत अधिकृत पूछताछ प्राधिकरण

के पास वही शक्तियां होंगी जो सी. पी. सी., 1908 (1908 का 5) के तहत सिविल कोर्ट में निहित हैं। जाहिर है, प्रमोद कुमार और बी. एन. सिंह सिपाही हैं, वे विभाग/प्रबंधन के खिलाफ और वह भी गवाह रहे उच्च अधिकारियों के सामने सबूत पेश करने से डर सकते हैं।

6. इन दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जाँच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि सेवा से हटाने का बड़ा जुर्माना लगाया गया है। ऐसी परिस्थिति में जांच अधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकरण को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि क्या अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। विभागीय जांच से संबंधित मूल अभिलेखों को बुलाने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये के कानूनी मुद्दे हैं जहाँ तक साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान न करने की बात है। ***कर्नाटक राज्य बनाम उमेश,*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***(2022) 6 एस. सी. सी. 563*** में रिपोर्ट किए गए, में विस्तृत रूप से विचार किया गया कि किन परिस्थितियों में रिट अदालत अनुशासनात्मक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप कर सकती है। उपरोक्त निर्णय का अनुच्छेद-22 इस प्रकार हैः.

> "22. न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में, न्यायालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों पर एक अपीलीय मंच के रूप में कार्य नहीं करता है। अदालत उन सबूतों की फिर से सराहना नहीं करती है जिनके

आधार पर अनुशासनात्मक जांच के दौरान कदाचार का निष्कर्ष निकाला गया है। न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए अपनी समीक्षा को प्रतिबंधित करना चाहिए कि क्याः

(i) प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया गया है।

(ii) दुराचार का निष्कर्ष कुछ साक्ष्यों पर आधारित है।

(iii) अनुशासनात्मक जाँच के संचालन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का पालन किया गया है; और

(iv) क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष विकृति से ग्रस्त हैं; और

(v) दंड सिद्ध दुराचार के लिए अनुपयुक्त है। *[कर्नाटक राज्य बनाम एन. गंगराज,* (2020) 3 एससीसी 423: (2020) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 547; *भारत संघ बनाम जी. गनयुथम,* (1997) 7 एस. सी. सी. 463: 1997 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1806; *बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ,* (1995) 6 एस. सी. सी. 749: 1996 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 80; *आर. एस. सैनी बनाम पंजाब राज्य,* (1999) 8 एससीसी 90: 1999 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1424 और सी. आई. एस. एफ. बनाम अबरार अली, (2017) 4 एस. सी. सी. 507: (2018) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 310]"

**रेखांकित आपूर्ति की गई।**

7. अपीलार्थी का मामला ***कर्नाटक राज्य (ऊपर उद्धृत)*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों में फिट होगा। इस आधार पर अपीलार्थी ने एक मामला बनाया है ताकि 2008 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 2963 में पारित दिनांक 25.11.2005 के आक्षेपित दंड आदेश और इसी तरह विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 02.07.2018 के आदेश में भी हस्तक्षेप किया जा सके।

8. इस स्तर पर, हमने देखा है कि हटाने के आदेश को रद्द करने की स्थिति में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या परिणाम होगा कि अपीलार्थी इस कारण से बहाली का हकदार नहीं है कि यदि वह सेवा में होता तो वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेता और 30.11.2023 पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता, इसलिए बहाली का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा, यह 20 वर्षों के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण को रिमांड का मामला नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने के लिए दो दिनों की अवधि के लिए 24.07.2005 पर अपीलार्थी के अनुरोध के बावजूद, जांच अधिकारी ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करने और जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं करने में त्रुटि की है और इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। इस बिंदु पर अपीलार्थी ने एक मामला बनाया है।

9. जैसा भी हो, आरोप की गंभीरता को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए यह चौंकाने वाला है कि आरोपों को उस तरीके से साबित नहीं किया गया जिस तरह से साक्ष्य प्रस्तुत करना और जिरह करना, ये सभी एक विभागीय जांच में अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए, हम 25.11.2005 के

सेवा से हटाने के दंड, 05.05.2006 के अपीलीय प्राधिकारी आदेश, 10.11.2006 के पुनरीक्षण प्राधिकारी आदेश को 25.11.2005 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड लगाने की सीमा तक संशोधित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता 30.03.1990, जिस तारीख को उसे रसोइया के रूप में नियुक्त किया गया था से लेकर 25.11.2005, जिस तारीख को निष्कासन आदेश पारित किया गया था और जिसे हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति में संशोधित किया है, तक की अवधि के लिए परिणामी सेवा और मौद्रिक लाभों का हकदार है।

10. उपर्युक्त मध्यवर्ती अवधि के लिए, अपीलकर्ता परिणामी मौद्रिक लाभों का हकदार है और उसकी गणना और वितरण किया जाएगा। यदि अपीलकर्ता द्वारा धारित पद पेंशन योग्य है, तो उस स्थिति में, संबंधित प्राधिकारी को 25.11.2005 से पेंशन निर्धारित करने, पेंशन के बकाया की गणना और वितरण करने तथा पेंशन का भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया जाता है। उपरोक्त कार्य इस आदेश की प्रति प्राप्त/प्रस्तुत होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

11. तदनुसार, 2008 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 2963 में पारित दिनांक 02.07.2018 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार/रद्द कर दिया गया है।

12. आंशिक रूप से एल. पी. ए. की अनुमति है।

13. लंबित आई. ए. यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

**(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)**

**(एस. बी. पी. डी सिंह, न्यायमूर्ति)**

रंजन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।